न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. R 4316–I–16

लाखन सिंह आत्मज श्री रंधीर सिंह बघेल,
निवासी– ग्राम बापचा, तहसील लटेरी, ... आवेदक
जिला विदिशा (म.प्र.)

विरुद्ध

जसवंत सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष
आत्मज श्री धीरज सिंह बघेल
निवासी– ग्राम बापचा, तहसील लटेरी, ... अनावेदक
जिला विदिशा (म.प्र.)

श्री-2 [illegible] अभि. द्वारा प्रस्तुत 15/11/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 7/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, मण्डल–1, लटेरी के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धार 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया गया वि ग्राम बापचा, प.ह.नं. 18, तहसील लटेरी स्थित भूमि खसरा क्र. 115/1 रकबा 1.550 हेक्टेय लगान 5.00 रूपये राजस्व अभिलेख में आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य में अंकित है जिस आधे भाग में पड़त होकर घास होता था जिसका लाभ आवेदक ही लेता था। आवेदक द्वा अपनी उपरोक्त भूमि का सीमांकन प्रकरण क्र. 3/अ–12/15–16 द्वारा कराया गया थ आर.आई., राजस्व निरीक्षक मण्डल – 1, हल्का पटवारी श्री मूलचंद बड़सरे द्वारा उ सीमांकन के संबंध में मेड़िया कृषकों को सूचित कर दिनांक 25.04.2016 को मौके पर सीमां किया गया। उक्त भूमि के सीमांकन के तहत पाया गया कि आवेदक के स्वत्व की उपरो भूमि खसरा क्र. 115/1 रकबा 1.550 हेक्टेयर पर अनावेदक लाखन सिंह पुत्र श्री रंधीर ि का कब्जा पाया गया। भूमि पर अनावेदक का कब्जा है। इस बात की जानकारी मुझे दिन 25.04.2016 को ही हुई, तत्पश्चात मेरे द्वारा अनावेदक से भूमि पर से कब्जा छोड़ने लिये कहा गया तो वह टालमटोल करने लगा तथा कब्जा नहीं छोड़ रहा है। जबकि उ किसी प्रकार का कोई स्वत्व नहीं है। सीमांकन के समय अनावेदक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4316–एक / 16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

02/01/18

प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, लटेरी, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 7 / अ–70 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–11–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबव्द्ध कर नायब तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभक की । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया । नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में आदेश पारित करते हुए प्रकरण को संहिता की धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य मानते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल यह लिखते हुए कि मूल प्रकरण प्राप्त किया गया प्रचलनशीलता के संबंध में आवेदक द्वारा जो बिंदु उठाये गये थे उनका निराकरण नहीं किया गया । जबकि बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है । आवेदक ने अपने आवेदन में स्पष्ट कथन किया था कि वर्तमान नक्शे के मान से आवेदक की ही भूमि कम है, तब अनावेदक की भूमि के बारे में कब्जे की बात गलत है । ऐसी स्थिति में की गई सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन

योग्य नहीं थी । शासन की रिर्पोट आ गई है स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सीमांकन के विरूद्ध आवेदक द्वारा कोई निगरानी पेश नहीं की गई है आवेदक स्वयं उपस्थित थे परंतु उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये । आवेदक प्रकरण को लंबित करना चाह रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि बोलता हुआ आदेश है उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं है अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकों की ओर से प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति का निराकरण मूल सीमांकन प्रकरण के अवलोकन करने तथा उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत प्रकरण को संहिता की धारा 250 के तहत प्रचलन योग्य माना है एवं प्रकरण अनावेदकों की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, उक्त सीमांकन को आवेदक द्वारा कोई चुनौती दी गई है, इस संबंध में ना तो निगरानी आवेदन में और ना ही तर्कों के दौरान आवेदक अधिवक्ता कोई उल्लेख किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस किए जायें ।

प्रशा0 सदस्य